




## कैम्प कार्यक्रम

प्रशासन शहरों के संग 2021 के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में उपायुक्त पीआरएन दक्षिण-द्वितीय के प्रस्तावानुसार गूठ गिठ राठिगिठि की आवासीय योजना का नियमन शिविर कार्यक्रम राक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार आयोजित किया जाना है:-

क्र. सं.	जोन	दिनांक	सोसायटी का नाम	योजना का नाम	ग्राम	भूखण्ड	शिविर स्थल
1.	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	04.01.2023	डी राजहंस कॉ.हा.सो. लि.	उत्तम नगर	सन्दकिशोरपुरा उर्फ गान्धावास	1 लगायत 53 व इनके पार्ट	जोन कार्यालय
2.	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	06.01.2023	भारत भवन नि.स.रा.	प्रजापति नगर-सी	मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास	1-15	जोन कार्यालय


उपरोक्त योजनाओं की सदरयता सूची जविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त योजनाओं की सदरयता सूची के सम्बन्ध में अथवा अन्य कोई आपत्ति यदि किसी व्यक्ति/संस्था को हो तो कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में सम्बन्धित जोन उपायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

- कैम्प में डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.)/ बैंकर चैक के माध्यम से भी राशि स्वीकार्य।
- डी.डी. राशि अधिक होने पर आधिक्य राशि का रिफण्ड देय।
- कैम्प में इन्टरनेट बैंकिंग से भी गुगतान की सुविधा उपलब्ध।
- कैम्प में नागरिक सेवा केन्द्र में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाएंगे।

  
(रज्जवल राठोड़)  
सचिव

## प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/आयोजना), जविप्रा जयपुर।
6. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त(संसाधन विकास एवं समन्वय/रिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि कैम्प आयोजना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवाना एवं आग-तुकों से गारक का प्रयोग अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा को जयपुर - शिविर स्थल पर गाकूल व्यवस्था बनाये रखने हेतु।
9. उपायुक्त पीआरएन, (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तावित कैम्प कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया गया है. फिर भी कैम्प से पूर्व योजना की नियमानुसार जांच करके ही कैम्प कार्यक्रम सुनिश्चित करें।
10. रिस्टम एनालिसर, जविप्रा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराने हेतु।
11. उप निदेशक(जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को रागाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
12. उपायुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर को शिविरों के दौरान आवश्यक कार्मिकों की व्यवस्था एवं प्राप्त नकद राशि की सुरक्षा तथा स्टाफ वेडर व चोटरी पब्लिक की व्यवस्था करने हेतु।
13. उपायुक्त (स्टोर), जविप्रा, जयपुर को जोन उपायुक्तों की आवश्यकता अनुसार शिविरों हेतु टैंट कुर्री पानी पंखे रटेशारी आदि की व्यवस्था हेतु।
14. उपायुक्त (वाहन), जविप्रा, जयपुर को जोन उपायुक्तों की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु।
15. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम(पीआरएन), जविप्रा, जयपुर को आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु।
16. अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), जविप्रा को विद्युत संबंधी व्यवस्था हेतु।
17. तहसीलदार, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
18. लेखाधिकारी (गुगतान), को शिविरों में कैशियर की व्यवस्था हेतु।
19. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जविप्रा परिसर, जयपुर।
20. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आर.सी.आर.), जविप्रा, जयपुर।
21. केयर टेकर, जविप्रा, जयपुर।
22. पी.वी.एक्स/स्वागत कक्ष, जविप्रा, जयपुर।
23. रक्षित पत्रावली।

  
(बाबूलाल गौयल)  
अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन)